

कार्यालय: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 3प/पैरा/कार्मिक अनु0 4,5,6/03/2025/ 9158
सेवा में,

देहरादून: दिनांक: 15 अप्रैल 2025

आई0 ई0 सी0 अधिकारी,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

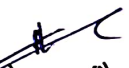
महोदय,

उपरोक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्त संवर्गों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रस्तर-23 (3) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित की जानी है।

अतः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पैरामेडिकल संवर्ग (नर्सिंग संवर्ग, लैब टैक्नीशियन संवर्ग, ई0सी0जी0 टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट संवर्ग, एक्स-रे टैक्नीशियन, दृष्टिमितिज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग डी0आर0ए0 कुष्ठ संवर्ग) के रिक्त पदों/सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल का चिन्हीकरण/स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों का विवरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


सहायक निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या— 3प/पैरा/कार्मिक अनु0 4,5,6/03/2025/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित की जा रही सूची को अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों को अवलोकित कराने का कष्ट करें।

1—निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।

2— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकि0/उप जिला चिकि0 उत्तराखण्ड।


सहायक निदेशक (पैरामेडिकल)